

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37()परावि/प्रशा.2/कलिभर्ती-जिपमार्गदर्शन/17 जयपुर दिनांक

III

2783

12/7/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद गंगानगर ।

विषय:-एसबीसीडब्ल्यू पी संख्या 6079/13 में पारित निर्णय दिनांक
10.7.13 बाबत मार्गदर्शन ।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 181 दिनांक 27.04.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने संदर्भित पत्रों द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के
क्रम में प्रस्तुत एस.बी.सि.रिट याचिका संख्या 6079/13 में पारित निर्णय दिनांक
10.7.13 के क्रम में मार्गदर्शन चाहा है ।

प्रकरण में लेख है कि इस संबंध में परिपत्र पूर्व में जारी किया जा चुका है
तथापि अगर योजनान्तर्गत प्रावधित पद पर सीधे संविदा पर रखा गया व योजना मद
से भुगतान किया गया तो अभ्यर्थी को लाभ देय होगा । निजी आय से रखे कार्मिकों
को अनुभव का लाभ देय नहीं है ।

यह लक्ष्य है कि अनुभूति है।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त ।
2. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल मुख्यालय को अपलोड करने बाबत ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव